निर्वाचन/अति महत्वपूर्ण

संख्या : 22/2021/656/33-3-2021-62/2020

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
पंचायतीराज,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-3 **लखनऊ दिनांक 17 मार्च, 2021**

विषय : उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2021 हेतु जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत के स्थानों और पदों का आरक्षण व आवंटन विषयक।

महोदय,

मा0 उच्च न्यायालय मे योजित रिट याचिका संख्या-6929/2021 श्री अजय कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 15.03.2021 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन-2021 हेतु जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत के स्थानों और पदों के आरक्षण व आवंटन हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 11.02.2021 को निरस्त कर दिया गया है तथा स्थानों और पदों के आरक्षण व आवंटन के सम्बन्ध मे कतिपय निर्देश दिये गये है। उक्त निर्देशों के क्रम में शासनादेश संख्या-12/2021/324/33-3-2021-62/2020, दिनांक 11 फरवरी, 2021 को निरस्त करते हुए यह आदेश निर्गत किया जा रहा है। अवगत कराना है कि संविधान के अनुच्छेद 243-घ तथा तत्क्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा-11क तथा धारा-12(5) और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-6क, 7क, 18क व 19क में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थानों और पदों के आरक्षण और आवंटन हेतु दो नियमावलियां-उत्तर प्रदेश पंचायतराज (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 1994 (यथासंशोधित) एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली, 1994 (यथासंशोधित) प्रख्यापित है। उक्त दोनों नियमावलियों के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों में पदों (चैयरपरसन) एवं स्थानों (सदस्यों) के आरक्षण एवं आवंटन की प्रक्रिया निर्धारित है।

उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा-11क(2) निम्नवत् है -

"राज्य सरकार, आदेश द्वारा, प्रधान के पदों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित करेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित प्रधानों के पदों की संख्या का अनुपात प्रधानों की कुल संख्या से यथाशाक्य वही होगा जो राज्य की अनुसूचित जातियों की या राज्य की अनुसूचित जनजातियों की या राज्य के पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात राज्य की कुल जनसंख्या से है :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रधानों के पदों की कुल संख्या के 27 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिबन्ध यह है कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आकड़े उपलब्ध न हो तो नियत रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है।"

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-7क(1) निम्नवत् है :-

"राज्य में क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगे -

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे आरक्षित प्रमुखों के पदों की संख्या का अनुपात ऐसे पदों की कुल संख्या से यथाशाक्य वही होगा जो राज्य की अनुसूचित जातियों की या राज्य की अनुसूचित जनजातियों की या राज्य के पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या में है और ऐसे आरक्षित पद भिन्न-भिन्न क्षेत्र पंचायतों को चक्रानुक्रम से ऐसे, क्रम में जैसा नियत किया जाये, आवंटित किये जा सकेंगे :

प्रतिबन्ध है कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण राज्य में प्रमुखों के पदों की कुल संख्या के 27 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आकड़ें उपलब्ध न हो तो नियत रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है।"

उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-19क(1) जो निम्नवत् है :-

"राज्य में जिला पंचायतों के अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेंगे:

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे आरक्षित अध्यक्षों के पदों की संख्या का अनुपात ऐसे पदों की कुल संख्या से यथाशाक्य वही होगा जो राज्य की अनुसूचित जातियों की या राज्य की अनुसूचित जनजातियों की या राज्य के पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात उस राज्य की कुल जनसंख्या में है और ऐसे आरक्षित पद भिन्न-भिन्न जिला पंचायतों को चक्रानुक्रम से ऐसे, क्रम में जैसा नियत किया जाये, आवंटित किये जा सकेंगे :

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण राज्य में अध्यक्षों के पदों की कुल संख्या के 27 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आकड़े उपलब्ध न हो तो नियत रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है।"

2. उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा-11 क(2) एवं उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-7क(1) एवं धारा-19क(1) के प्राविधान के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत प्रमुख तथा ग्राम पंचायत प्रधान के पदों का आरक्षण राज्य स्तर पर किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 हेतु जिला पंचायत**,** क्षेत्र पंचायत एवं ग्राम पंचायत के स्थानों और पदों का आरक्षण व आवंटन के सम्बन्ध में निम्नवत् निर्देश निर्गत किये जाते हैं।

3. आरक्षण की क्रमावली निम्नवत् होगी :

(क) अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियां

(ख) अनुसूचित जनजातियां

(ग) अनुसूचित जातियों की स्त्रियां

(घ) अनुसूचित जातियां

(ड़) पिछड़े वर्गों की स्त्रियां

(च) पिछड़े वर्ग और

(छ) स्त्रियां

<u>4. राज्य स्तर पर आरक्षित किये जाने वाले अध्यक्ष पदों के आरक्षण की संगणना:</u>

जनगणना वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों का प्रतिशत क्रमशः 0.5677 तथा 20.6982 है। रैपिड सर्वे 2015 के अनुसार राज्य

http://shasanadesh.up.gov.in

में अन्य पिछड़ा वर्ग की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 53.33 है। त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 हेतु राज्य में कुल जिला पंचायत अध्यक्ष के 75 पद, क्षेत्र पंचायत प्रमुख के 826 पद तथा ग्राम प्रधान के 58194 पदों में आरक्षण की व्यवस्था की जानी है।

4.1 राज्य में जिला पंचायत के अध्यक्षों, क्षेत्र पंचायत के प्रमुखों एवं ग्राम पंचायत के प्रधानों में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या की संगणना राज्य में उनकी जनसंख्या के अनुपात में की जाएगी। यदि शेष, भाजक के आधे से कम न हो तो भागफल में एक बढ़ाया जायेगा और यदि शेष, भाजक के आधे से कम हो तो उसे छोड़ दिया जायेगा। परन्तु पिछड़े वर्गों के लिए पदों का आरक्षण अधिकतम 27 प्रतिशत अनुमन्य है इसलिए पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षित किये जाने वाले पदों की संगणना में मात्र भागफल के पूर्णांक को ही संज्ञान में लिया जायेगा और शेष को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा। इस प्रकार अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या अवधारित हो जायेगी। उपर्युक्तानुसार अवधारित पदों की कुल संख्या के एक-तिहाई से अन्यून पद, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की स्त्रियों के लिये आरक्षित किये जायेंगे और इस प्रकार स्त्रियों के लिए आरक्षित पदों को सम्मिलित करते हुए राज्य में कुल पदों की संख्या के एक तिहाई से अन्यून पद स्त्रियों के लिये आरक्षित किये जायेंगें। प्रत्येक आरक्षित वर्ग में स्त्रियों के लिये आरक्षित किये जाने वाले पदों और स्त्रियों के लिए आरक्षित किये जाने वाले कुल पदों की संगणना करने में यदि भाज्य, भाजक से पूर्णतया विभाजित न हो और कुछ शेष बचता हो तो भागफल में 1 बढ़ जायेगा।

4.2 उपरोक्तानुसार राज्य में जिला पंचायत के अध्यक्षों, क्षेत्र पंचायत के प्रमुखों एवं ग्राम पंचायत के प्रधानों में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षित किये जाने वाले पदों की संख्या की संगणना निम्नवत है:-

(क) जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों का आरक्षण:- अनुसूचित जनजाति के शून्य पद, अनुसूचित जाति के 16 पद तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 20 पद आरक्षित किये जायेंगें।

(ख) क्षेत्र पंचायत प्रमुख के पदों का आरक्षण:- अनुसूचित जनजाति के 05 पद, अनुसूचित जाति के 171 पद तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 223 पद आरक्षित किये जायेगें।

(ग) ग्राम पंचायत प्रधान के पदों का आरक्षण:- अनुसूचित जनजाति के 330 पद, अनुसूचित जाति के 12045 पद तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 15712 पद आरक्षित किये जायेगें।

5. जिला पंचायत के अध्यक्ष पदों का आवंटन:

प्रस्तर 3 में उल्लिखित क्रमावली के क्रम में अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिये जिला पंचायत के अध्यक्ष के आरक्षित पदों की संख्या राज्य में जिला पंचायतों को उनके प्रादेशिक क्षेत्र की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के अनुपात के अवरोही क्रम में आवंटित की जानी है। अर्थात् राज्य में जिला पंचायतों में से वह जिला पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का कुल जनसंख्या में अनुपात सबसे अधिक हो, उनको आवंटित की जायेगी, और वह जिला पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात कुल जनसंख्या में सबसे अधिक हो, उनको आवंटित की जायेगी। पंचायतों के सामान्य निर्वाचन वर्ष 2021 में आवंटन उपर्युक्त रीति से किया जायेगा किन्तु इस प्रकार कि जहॉ तक हो सके, सामान्य निर्वाचन वर्ष 2015 में अनुसूचित जातियों को आवंटित जिला पंचायतें अनुसूचित जातियों को आवंटित नहीं की जायेगी और पिछड़े वर्गों को आवंटित जिला पंचायतें पिछड़े वर्गों को आवंटित नहीं की जायेगी।

5.1 पदों के आवंटन हेतु प्रदेश की समस्त जिला पंचायतों को अनुसूचित जाति की आबादी के प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में लगाते हुए सर्वप्रथम पद का आवंटन उन जिला पंचायतों में किया जाएगा, जो कभी भी अनुसूचित जाति श्रेणी में आवंटित नहीं रही हैं। इस प्रकार आवंटन के पश्चात अगर समस्त जिला पंचायतें एक बार इस श्रेणी में आरक्षित हो गयी हैं और अनुसूचित जाति

http://shasanadesh.up.gov.in

के जिला पंचायत अध्यक्ष पदों का आवंटन शेष है तो प्रदेश की जिला पंचायतों को अनुसूचित जाति की जनसंख्या के प्रतिशत के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हुए उन जिला पंचायतों को अनुसूचित जाति में आरक्षित कर दिया जायेगा, जो जिला पंचायतें वर्ष 2015 में अनुसूचित जाति में आरक्षित नहीं थी। अनुसूचित जाति के लिए आवंटित जिला पंचायतों में ऊपर से एक-तिहाई से अन्यून सीटें महिला के लिए आवंटित होंगी।

5.2 इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग के जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के आवंटन के लिए अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित जिला पंचायतों को हटाते हुए शेष बची जिला पंचायतों को अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी के प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में लगाते हुए सर्वप्रथम पदों का आवंटन उन जिला पंचायतों में किया जाएगा, जो कभी भी अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आवंटित नहीं रही हैं। इस प्रकार आवंटन के पश्चात अगर समस्त जिला पंचायतें एक बार इस श्रेणी में आरक्षित हो गयी हैं और प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों का आवंटन शेष है तो प्रदेश की जिला पंचायतों के अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के प्रतिशत के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हुए उन जिला पंचायतों को अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षित कर दिया जायेगा, जो जिला पंचायतें सामान्य निर्वाचन वर्ष 2015 में अन्य पिछड़ा वर्ग में आरक्षित नहीं थी। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आवंटित जिला पंचायतों में ऊपर से एक-तिहाई सीटें महिला के लिए आवंटित होंगी।

5.3 स्त्रियों के लिए आरक्षित जिला पंचायत अध्यक्ष पदों का आवंटन प्रदेश की जिला पंचायतें, जो अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित व आवंटित होने के उपरान्त शेष हैं, उन जिला पंचायतों को सामान्य की जनसंख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हुए की जायेंगी, जो जिला पंचायतें सामान्य निर्वाचन वर्ष 2015 में स्त्रियों के लिए आरक्षित नहीं थी।

5.4 इस प्रकार आरक्षित करते समय यदि किसी मण्डल की समस्त जिला पंचायतें एक ही श्रेणी में आवंटित हो जाती हैं तो उस मण्डल के जिलों को उनकी कुल आबादी के आरोही क्रम में लगाते हुए उस जिला पंचायत को अनारक्षित कर दिया जायेगा जिस जिले की आबादी सबसे कम है।

6. <u>विकास खण्ड के प्रमुख पदों के आरक्षण की मगणना:</u>

6.1 राज्य स्तर पर क्षेत्र पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित किये जाने वाले प्रमुखों के पदों की संख्या की संगणना प्रस्तर 4 में किया गया है।

6.2 इस प्रकार अनुसूचित जनजातियों हेतु संगणित प्रमुखों के पदों की संख्या क्षेत्र पंचायतों के मध्य वितरित करने के लिये जिले को ईकाई माना जायेगा और यह वितरण इस प्रकार से किया जायेगा कि जिले में अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित किये जाने वाले प्रमुखों के पदों की संख्या का अनुपात उपर्युक्तानुसार राज्य में संगणित प्रमुखों के पदों की संख्या से यथासाध्य वही होगा जो जिले में अनुसूचित जनजातियों की ग्रामीण जनसंख्या का राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल जनसंख्या से है।

6.3 प्रत्येक जिले में अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित किये जाने वाले प्रमुखों के पदों की संगणना सर्वप्रथम निम्नलिखित फार्मूला से की जाएगी :-

$$\textbf{जिला में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रमुखों के पदों की संख्या} = \frac{\textbf{जिलों में कुल क्षेत्र पंचायतों की संख्या} \times \textbf{जिला में अनुसूचित जातियों की ग्रामीण जनसंख्या}}{\textbf{जिला की कुल ग्रामीण जनसंख्या}}$$

http://shasanadesh.up.gov.in

परन्तु इस प्रकार अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रमुखों के संगणित पदों की संख्या यदि जिले की कुल क्षेत्र पंचायतों की संख्या के 20.6982 प्रतिशत से अधिक आती हैं तो उसे 20.6982 प्रतिशत तक सीमित रखा जायेगा। उपर्युक्तानुसार प्रमुखों के पदों की संख्या की संगणना के उपरान्त भी राज्य स्तर पर अनुसूचित जाति के लिए संगणित पदों की संख्या अवितरित रहने की दशा में, उन्हें जिले की कुल ग्रामीण जनसंख्या में अनुसूचित जाति की ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात के अवरोही क्रम में, मात्र उन्हीं जिलो में पुनर्वितरण किया जायेगा जिनमें अनुसूचित जातियों की ग्रामीण जनसंख्या का जिले की कुल ग्रामीण जनसंख्या में अनुपात, राज्य में उनकी जनसंख्या का राज्य की कुल जनसंख्या के अनुपात, जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 20.6982 है, से अधिक हो। पुनर्वितरण हेतु ऐसे जिले को सर्वप्रथम एक-एक पद का वितरण किया जायेगा तथा यथावश्यक यह प्रक्रिया तब तक चलायी जायेगी जब तक समस्त अवितरित पदों का वितरण नहीं हो जाता है।

6.4 इसी प्रकार प्रत्येक जिले में पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षित किये जाने वाले प्रमुखों के पदों की संगणना सर्वप्रथम निम्नलिखित फार्मूला से की जायेगी :-

$$\text{जिला में पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रमुखों के पदों की संख्या} = \frac{\text{जिले में कुल क्षेत्र पंचायतों की संख्या} \times \text{जिला में पिछड़े वर्गो की ग्रामीण जनसंख्या}}{\text{जिला की कुल ग्रामीण जनसंख्या}}$$

परन्तु इस प्रकार पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रमुखों के संगणित पदों की संख्या यदि जिले की कुल क्षेत्र पंचायतों की संख्या के 27.00 प्रतिशत से अधिक आती है तो उसे 27.00 प्रतिशत तक ही सीमित रखा जायेगा। उपर्युक्तानुसार प्रमुखों के पदों की संख्या की संगणना के उपरान्त राज्य स्तर पर पिछड़े वर्गों के संगणित पदों की संख्या अवितरित रहने की दशा में, उन्हें जिले की कुल ग्रामीण जनसंख्या में पिछड़े वर्गो की ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात के अवरोही क्रम में, मात्र उन्हीं जिलों में पुनर्वितरण किया जायेगा जिनमें पिछड़े वर्गो की ग्रामीण जनसंख्या का जिले की ग्रामीण जनसंख्या में अनुपात, राज्य में उनकी जनसंख्या का राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात जो वर्ष 2015 के त्वरित सर्वेक्षण के अनुसार 53.33 है, से अधिक हो। पुनर्वितरण हेतु ऐसे जिलों को सर्वप्रथम एक-एक पद का वितरण किया जायेगा तथा यथावश्यक यह प्रक्रिया तब तक चलायी जायेगी जब तक समस्त अवितरित पदों का वितरण नहीं हो जाता है।

7. आरक्षित प्रमुख पदों का आवंटन व चक्रानुक्रम

7.1 प्रस्तर-3 में उल्लिखित क्रमावली के क्रम में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित प्रमुखों के पदों की संख्या उस जिले में भिन्न-भिन्न क्षेत्र पंचायतों को उनके प्रादेशिक क्षेत्र की कुल जनसंख्या में क्रमषः अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के अनुपात के अवरोही क्रम में आवंटित की जायेगी अर्थात् उस जिले की क्षेत्र पंचायतों में से वह क्षेत्र पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो, उनको आवंटित की जायेगी, और वह क्षेत्र पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो, उनको आवंटित की जायेगी, और वह क्षेत्र पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो, उनको आवंटित की जायेगी, किन्तु इस प्रकार कि जहॉ तक हो सके पंचायतों के सामान्य निर्वाचन वर्ष 2015 में अनुसूचित जनजातियों को आवंटित क्षेत्र पंचायत अनुसूचित जनजातियों को आवंटित नहीं की जायेगी, अनुसूचित जातियों को आवंटित क्षेत्र पंचायत अनुसूचित जातियों को

http://shasanadesh.up.gov.in

आवंटित नहीं की जायेगी और पिछड़े वर्गों को आवंटित क्षेत्र पंचायत पिछड़े वर्गों को आवंटित नहीं की जायेगी।

7.2 प्रतिबन्ध यह है कि अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गो की किसी क्षेत्र पंचायत में जनसंख्या दो व्यक्ति से कम हो तो ऐसे क्षेत्र पंचायत के प्रमुख का पद, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों को आवंटित नहीं किया जायेगा।

7.3 अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों को आवंटित क्षेत्र पंचायतों की एक तिहाई से अन्यून क्षेत्र पंचायतें यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों की स्त्रियों को आवंटित की जायेगी।

7.4 अनुसूचित जनजाति के पदों के आवंटन के लिए जनपद की समस्त क्षेत्र पंचायतों को अनुसूचित जनजाति की आबादी के प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में लगाते हुए सर्वप्रथम पद का आवंटन उन क्षेत्र पंचायतों में किया जाएगा, जो पिछले सामान्य निर्वाचन वर्ष 2015 में अनुसूचित जनजाति श्रेणी में आवंटित नहीं रही हैं। सर्वप्रथम आवंटित हुई क्षेत्र पंचायतों में ऊपर से अनुमन्य संख्या में क्षेत्र पंचायतें अनुसूचित जनजाति स्त्री के लिए आरक्षित कर दी जायेंगी। इस प्रकार आवंटन के पश्चात अगर समस्त क्षेत्र पंचायतें एक बार इस श्रेणी में आरक्षित हो गयी हैं और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र पंचायत प्रमुख पदों का आवंटन शेष है तो उस दशा में सामान्य निर्वाचन वर्ष 2015 में उस वर्ग के लिए आरक्षित क्षेत्र पंचायत को भी पुन: उसी वर्ग के लिए आरक्षित किया जायेगा।

7.5 इसी प्रकार अनुसूचित जाति के क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के आवंटन के लिए अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित क्षेत्र पंचायतों को हटाते हुए शेष बची जनपद की क्षेत्र पंचायतों को अनुसूचित जाति की आबादी के प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में लगाते हुए सर्वप्रथम पद का आवंटन उन क्षेत्र पंचायतों में किया जाएगा जो पिछले सामान्य निर्वाचन वर्ष 2015 में अनुसूचित जाति श्रेणी में आवंटित नहीं रही हैं। सर्वप्रथम आवंटित हुई क्षेत्र पंचायतों में ऊपर से अनुमन्य संख्या में क्षेत्र पंचायतें अनुसूचित जाति स्त्री के लिए आरक्षित कर दी जायेंगी। इस प्रकार आवंटन के पश्चात अगर समस्त क्षेत्र पंचायतें एक बार इस श्रेणी में आरक्षित हो गयी हैं और अनुसूचित जाति के क्षेत्र पंचायत प्रमुख पदों का आवंटन शेष है तो उस दशा में पंचायत सामान्य निर्वाचन वर्ष 2015 में उस वर्ग के लिए आरक्षित क्षेत्र पंचायत को भी पुन: उसी वर्ग के लिए आरक्षित किया जायेगा।

7.6 इसी प्रकार अन्य पिछड़ा वर्ग के क्षेत्र पंचायत प्रमुख पदों के आवंटन के लिए अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित क्षेत्र पंचायतों को हटाते हुए शेष बची क्षेत्र पंचायतों को अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी के प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में लगाते हुए सर्वप्रथम पदों का आवंटन उन क्षेत्र पंचायतों में किया जाएगा, जो सामान्य निर्वाचन वर्ष 2015 में अन्य पिछड़ा वर्ग में आवंटित नहीं रही हैं। सर्वप्रथम आवंटित क्षेत्र पंचायतों में ऊपर से अन्य पिछड़ा वर्ग महिला पदों के लिए आरक्षित कर दी जायेगी। इस प्रकार आवंटन के पश्चात अगर समस्त क्षेत्र पंचायतें एक बार इस श्रेणी में आरक्षित हो गयी हैं और प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के क्षेत्र पंचायत प्रमुख के पदों का आवंटन शेष है तो उस दशा में वर्ष 2015 में उस वर्ग के लिए आरक्षित क्षेत्र पंचायत को भी पुन: उसी वर्ग के लिए आरक्षित किया जायेगा।

7.7 इसी प्रकार स्त्री के लिए आरक्षित क्षेत्र पंचायत प्रमुख पदों का आवंटन के लिए जिले की क्षेत्र पंचायतें, जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित हो चुकी हैं उनको हटाते हुए जो शेष हैं, उन्हें सामान्य वर्ग की जनसंख्या के अवरोही क्रम में लगाया जायेगा। सर्वप्रथम स्त्री पद का आवंटन उन क्षेत्र पंचायतों में किया जाएगा, जो पिछले सामान्य निर्वाचन वर्ष 2015 में स्त्री श्रेणी में आवंटित नहीं रही हैं। इस प्रकार आवंटन के पश्चात अगर समस्त क्षेत्र

http://shasanadesh.up.gov.in

पंचायतें एक बार इस श्रेणी में आरक्षित हो गयी हैं और जनपद में स्त्री श्रेणी के क्षेत्र पंचायत प्रमुख के पदों का आवंटन शेष है तो उस दशा में सामान्य निर्वाचन वर्ष 2015 में उस वर्ग के लिए आरक्षित क्षेत्र पंचायत को भी पुन: उसी वर्ग के लिए आरक्षित किया जायेगा।

8. <u>राज्य में प्रधान पदों के आरक्षण की गणना :</u>

8.1 राज्य स्तर पर क्षेत्र पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित किये जाने वाले ग्राम प्रधानों के पदों की संख्या की संगणना प्रस्तर 4 में किया गया है।

8.2 <u>विकास खण्ड में प्रधान पदों के आरक्षण की गणना</u>:

किसी खण्ड (ब्लॉक) में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रधानों के पदों की संगणना सर्वप्रथम निम्नलिखित फार्मूला से की जाएगी:-

$$\text{खण्ड (ब्लाक) में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रधान के पदों की संख्या} = \frac{\text{खण्ड (ब्लाक) में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या} \times \text{खण्ड (ब्लाक) में अनुसूचित जनजाति की ग्रामीण जनसंख्या}}{\text{खण्ड (ब्लाक) की कुल ग्रामीण जनसंख्या}}$$

परन्तु इस प्रकार अनूसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रधानों के संगणित पदों की संख्या यदि खण्ड (ब्लॉक) की ग्राम पंचायतों की कुल संख्या के *0.5677 %* से अधिक आती हैं तो उसे *0.5677 %* तक सीमित रखा जायेगा। उपर्युक्तानुसार प्रधानों के पदों की संख्या की संगणना के उपरान्त भी राज्य स्तर पर अनूसूचित जनजातियों के लिए संगणित पदों की संख्या अवितरित रहने की दशा में, उन्हें खण्ड (ब्लॉक) की कुल ग्रामीण जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों की ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात के अवरोही क्रम में, मात्र उन्हीं खण्डों (ब्लॉक) में पुनर्वितरण किया जायेगा जिनमें अनुसूचित जनजातियों की ग्रामीण जनसंख्या का खण्ड ब्लॉक की कुल ग्रामीण जनसंख्या में अनुपात राज्य में उनकी जनसंख्या का राज्य की कुल जनसंख्या के अनुपात जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 0.5677 है, से अधिक हो। पुनर्वितरण हेतु ऐसे खण्डों (ब्लॉक) को सर्वप्रथम एक-एक पद का वितरण किया जायेगा तथा यथावश्यक यह प्रक्रिया तब तक चलायी जायेगी जब तक समस्त अवितरित पदों का वितरण नहीं हो जाता है।

8.3 विकास खण्ड ब्लॉक में अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित किये जाने वाले प्रधानों के पदों की संगणना सर्वप्रथम निम्नलिखित फार्मूला से की जाएगी:-

$$\text{खण्ड (ब्लाक) में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रधानों के पदों की संख्या} = \frac{\text{खण्ड (ब्लाक) में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या} \times \text{खण्ड (ब्लाक) में अनुसूचित जातियों की ग्रामीण जनसंख्या}}{\text{खण्ड (ब्लाक) की कुल ग्रामीण जनसंख्या}}$$

http://shasanadesh.up.gov.in

परन्तु इस प्रकार अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रधानों के संगणित पदों की संख्या यदि खण्ड (ब्लाक) की ग्राम पंचायतों की कुल संख्या के 20.6982 प्रतिशत से अधिक आती हैं तो उसे 20.6982 प्रतिशत तक सीमित रखा जायेगा।

उपर्युक्तानुसार प्रधानों के पदों की संख्या की संगणना के उपरान्त राज्य स्तर पर अनुसूचित जाति के लिए संगणित पदों की संख्या अवितरित रहने की दशा में, उन्हें खण्ड (ब्लाक) की कुल ग्रामीण जनसंख्या में अनुसूचित जाति की ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात के अवरोही क्रम में, मात्र उन्हीं खण्डों (ब्लाक) में पुनर्वितरण किया जायेगा जिनमें अनुसूचित जातियों की ग्रामीण जनसंख्या का खण्ड (ब्लाक) की कुल ग्रामीण जनसंख्या में अनुपात, राज्य में उनकी जनसंख्या का राज्य की कुल जनसंख्या के अनुपात, जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 20.6982 है, से अधिक हो। पुनर्वितरण हेतु ऐसे खण्डों (ब्लाक) को सर्वप्रथम एक-एक पद का वितरण किया जायेगा तथा यथावश्यक यह प्रक्रिया तब तक चलायी जायेगी जबतक समस्त अवितरित पदों का वितरण नहीं हो जाता है।

8.4 विकास खण्ड (ब्लाक) में पिछड़ी जातियों के लिये आरक्षित किये जाने वाले प्रधानों के पदों की संगणना सर्वप्रथम निम्नलिखित फार्मूला से की जायेगी:-

$$\textbf{खण्ड (ब्लाक) में पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रधानों के पदों की संख्या} = \frac{\textbf{खण्ड (ब्लाक) में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या} \times \textbf{खण्ड (ब्लाक) में पिछड़े वर्गों की ग्रामीण जनसंख्या}}{\textbf{खण्ड (ब्लाक) की कुल ग्रामीण जनसंख्या}}$$

परन्तु इस प्रकार पिछड़े वर्गो के लिए आरक्षित किये जाने वाले प्रधानों के संगणित पदों की संख्या यदि खण्ड (ब्लाक) की ग्राम पंचायतों की कुल संख्या के 27 प्रतिशत से अधिक आती है तो उसे 27.00 प्रतिशत तक ही सीमित रखा जायेगा। उपर्युक्तानुसार प्रधानों के पदों की संख्या की संगणना के उपरान्त राज्य स्तर पर पिछड़े वर्गों के लिए संगणित पदों की संख्या अवितरित रहने की दशा में, उन्हें खण्ड (ब्लाक) की ग्रामीण जनसंख्या में पिछड़े वर्ग की ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात के अवरोही क्रम में, मात्र उन्हीं खण्डों (ब्लाक) में पुनर्वितरण किया जायेगा जिनमें पिछड़े वर्गो की ग्रामीण जनसंख्या का खण्ड (ब्लाक) की ग्रामीण जनसंख्या में अनुपात, राज्य में उनकी जनसंख्या का राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात, जो वर्ष 2015 के त्वरित सर्वेक्षण के अनुसार 53.33 है, से अधिक हो। पुनर्वितरण हेतु ऐसे खण्डों (ब्लाक) को सर्वप्रथम एक-एक पद का वितरण किया जायेगा तथा यथावश्यक यह प्रक्रिया तब तक चलायी जायेगी जबतक समस्त अवितरित पदों का वितरण नहीं हो जाता है।

9. <u>खण्ड के अन्तर्गत प्रधान के पदों का आवंटन :</u>

9.1 अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के लिये प्रधानों के आरक्षित पदों की संख्या उस खण्ड (ब्लाक) में भिन्न-भिन्न ग्राम पंचायतों को उनके प्रादेशिक क्षेत्र की कुल जनसंख्या में क्रमश: अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गो की जनसंख्या के अनुपात के अवरोही क्रम में आवंटित की जायेगी अर्थात् उस खण्ड (ब्लाक) की ग्राम पंचायतों में से वह ग्राम पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो, उनको आवंटित की जायेगी और वह ग्राम पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो, उनको आवंटित की जायेगी और वह ग्राम पंचायत जिसके प्रादेशिक क्षेत्र में पिछड़े वर्गों की जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक हो, उनको आवंटित की जायेगी, किन्तु इस प्रकार कि, जहॉ तक हो सके, पंचायत के सामान्य निर्वाचन वर्ष

http://shasanadesh.up.gov.in

2015 में अनुसूचित जनजातियों को आवंटित ग्राम पंचायत अनुसूचित जनजातियों को आवंटित नहीं की जायेगी, अनुसूचित जातियों को आवंटित ग्राम पंचायत अनुसूचित जातियों को आवंटित नहीं की जायेगी और पिछड़े वर्गों को आवंटित ग्राम पंचायत पिछड़े वर्गों को आवंटित नहीं की जायेगी।

9.2 प्रतिबन्ध यह है कि अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों की किसी पंचायत क्षेत्र में जनसंख्या दो व्यक्ति से कम हो तो ऐसे पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत के प्रधान का पद, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों को आवंटित नहीं किया जायेगा।

9.3 उक्त के अधीन अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों को आवंटित ग्राम पंचायत के प्रधानों के पदों के एक तिहाई से अन्यून पद, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की स्त्रियों को आवंटित किये जायेंगे।

9.4 उपर्युक्तानुसार स्त्रियों के लिये आवंटित प्रधानों के पदों को सम्मिलित करते हुए खण्ड (ब्लाक) में प्रधानों के पदों की कुल संख्या के एक तिहाई से अन्यून प्रधानों के पदों को स्त्रियों को आवंटित किया जायेगा किन्तु इस प्रकार कि जिन ग्राम पंचायतों के प्रादेशिक क्षेत्रों में सामान्य वर्ग की अधिक जनसंख्या, (जिसमें अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या सम्मिलित नहीं है), वे उनको आवंटित की जायेगी, किन्तु इस प्रकार कि, जहॉ तक हो सके, पूर्ववर्ती पंचायत सामान्य निर्वाचन वर्श 2015 में स्त्रियों को आवंटित ग्राम पंचायतें स्त्रियों को आवंटित नहीं की जायेंगी। सामान्य जनसंख्या का अवरोही क्रम बनाने में यदि एक से अधिक ग्राम पंचायतों की सामान्य जनसंख्या समान अथवा शून्य हो तो उस दशा में ऐसी ग्राम पंचायतों को उनकी कुल जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर पदों का आवंटन किया जायेगा।

9.5 प्रधान के पदों के आवंटन के लिए खण्ड की समस्त ग्राम पंचायतों को अनुसूचित जनजाति की आबादी के प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में लगाते हुए सर्वप्रथम पद का आवंटन उन ग्राम पंचायतों में किया जाएगा, जो पूर्ववर्ती निर्वाचन, 2015 में अनुसूचित जनजाति श्रेणी में आवंटित नहीं रही हैं। सर्वप्रथम आवंटित हुई ग्राम पंचायतों में ऊपर से अनुमन्य संख्या में ग्राम पंचायतें अनुसूचित जनजाति महिला के लिए आरक्षित कर दी जायेंगी। इस प्रकार आवंटन के पश्चात अगर समस्त ग्राम पंचायतें एक बार इस श्रेणी में आरक्षित हो गयी हैं और प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के ग्राम पंचायत प्रधान के पदों का आवंटन शेष है तो उस दशा में वर्ष 2015 में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित ग्राम पंचायत को भी पुन: अनूसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया जायेगा।

9.6 प्रधान के पदों के आवंटन के लिए खण्ड की समस्त ग्राम पंचायतों को अनुसूचित जाति की आबादी के प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में लगाते हुए सर्वप्रथम पद का आवंटन उन ग्राम पंचायतों में किया जाएगा, जो पूर्ववर्ती निर्वाचन, 2015 में अनुसूचित जाति श्रेणी में आवंटित नहीं रही हैं। सर्वप्रथम आवंटित हुई ग्राम पंचायतों में ऊपर से अनुमन्य संख्या में ग्राम पंचायतें अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित कर दी जायेंगी। इस प्रकार आवंटन के पश्चात अगर समस्त ग्राम पंचायतें एक बार इस श्रेणी में आरक्षित हो गयी हैं और प्रदेश में अनुसूचित जाति के ग्राम पंचायत प्रधान के पदों का आवंटन शेष है तो उस दशा में वर्ष 2015 में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित ग्राम पंचायत को भी पुन: अनूसूचित जाति के लिए आरक्षित किया जायेगा।

9.7 प्रधान के पदों के आवंटन के लिए खण्ड की समस्त ग्राम पंचायतों को अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी के प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में लगाते हुए सर्वप्रथम पद का आवंटन उन ग्राम पंचायतों में किया जाएगा, जो पूर्ववर्ती निर्वाचन, 2015 में अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में आवंटित नहीं

http://shasanadesh.up.gov.in

रही हैं। सर्वप्रथम आवंटित हुई ग्राम पंचायतों में ऊपर से अनुमन्य संख्या में ग्राम पंचायतें अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आवंटित कर दी जायेंगी। इस प्रकार आवंटन के पश्चात अगर समस्त ग्राम पंचायतें एक बार इस श्रेणी में आवंटित हो गयी हैं और प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के ग्राम पंचायत प्रधान के पदों का आवंटन शेष है तो उस दशा में वर्ष 2015 में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित ग्राम पंचायत को भी पुन: अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आवंटित किया जायेगा।

9.8 स्त्री के लिए आरक्षित ग्राम पंचायत प्रधान पदों का आवंटन खण्ड की ग्राम पंचायतें, जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित हो चुकी हैं उनको हटाते हुए जो शेष हैं, उन्हें सामान्य वर्ग की जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में लगाया जायेगा। सर्वप्रथम स्त्री पद का आवंटन उन ग्राम पंचायतों में किया जाएगा, जो सामान्य निर्वाचन 2015 में स्त्री श्रेणी में आवंटित नहीं रही हैं। इस प्रकार आवंटन के पश्चात अगर समस्त ग्राम पंचायतें एक बार इस श्रेणी में आरक्षित हो गयी हैं और खण्ड में स्त्री श्रेणी के ग्राम प्रधान पदों का आवंटन शेष है तो उस दशा में वर्ष 2015 में स्त्री के लिए आवंटित ग्राम पंचायत को भी पुन: स्त्री के लिए आवंटित किया जायेगा।

10. जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत प्रमुख एवं ग्राम पंचायत प्रधान पदों के आवंटन के दौरान यदि दो जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के समान प्रतिशत होने की दशा में जिला पंचायतों/क्षेत्र पंचायतों/ग्राम पंचायतों को अकारादि क्रम में क्रमांकित किया जायेगा और कम क्रमांक वाली जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायत/ग्राम पंचायत को आवंटित किया जायेगा।

11. <u>प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (स्थानों) का आरक्षण एवं आवंटन :</u>

11.1 त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन- 2021 हेतु पुर्नगठन एवं परिसीमन के पश्चात कुल 3051 जिला पंचायत सदस्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड), कुल 75855 क्षेत्र पंचायत सदस्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) तथा कुल 731811 ग्राम पंचायत सदस्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) का गठन किया गया है।

11.2 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (स्थानों) का आरक्षण

ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या की संगणना, संयुक्त प्रान्त पंचायतराज अधिनियम, 1947 की धारा 12 की उपधारा 5 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 6-क तथा 18-क के उपबन्धों के अनुरूप, निम्नलिखित फार्मूला के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी और संगणना करने में यदि शेष भाजक के आधे से कम न हो तो भागफल में एक बढ़ जायेगा तथा यदि शेष भाजक के आधे से कम हो तो इसे छोड़ दिया जायेगा परन्तु पिछड़े वर्गों के लिये पंचायत क्षेत्र में कुल स्थानों की संख्या के अधिकतम 27 प्रतिशत स्थानों पर आरक्षण अनुमन्य है इसलिए पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत स्थान आरक्षित किये जाने की दशा में आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संगणना में भागफल के पूर्णांक को ही संज्ञान में लिया जाएगा और शेष को संज्ञान में नहीं लिया जाएगा :-

पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गो के लिये = आरक्षित किये जाने वाले स्थानों की संख्या

$$\frac{\text{पंचायत क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गो की जनसंख्या} \times \text{पंचायत क्षेत्र में कुल स्थानों की संख्या}}{\text{पंचायत क्षेत्र की कुल जनसंख्या}}$$

http://shasanadesh.up.gov.in

उक्त के अधीन अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये संगणित स्थानों के एक तिहाई से अन्यून स्थान यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्ग की स्त्रियों के लिये आरक्षित किये जायेंगे। उपर्युक्तानुसार स्त्रियों के लिये आरक्षित स्थानों को सम्मिलित करते हुए पंचायत क्षेत्र के कुल स्थानों के एक तिहाई से अन्यून स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित किये जाएगें और प्रत्येक आरक्षित वर्ग में स्त्रियों के लिए आरक्षित किये जाने वाले स्थानों और स्त्रियों के लिए आरक्षित किये जाने वाले कुल स्थानों की संगणना करने में यदि भाज्य, भाजक से पूर्णतया विभाजित न हो और कुछ शेष बचता हो तो भागफल में 1 बढ़ जायेगा।

11.3 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (स्थानों) का आवंटन

सर्वप्रथम पंचायत क्षेत्र के विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) को अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गो की जनसंख्या/परिवारों की संख्या और प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) की कुल जनसंख्या/परिवारों की संख्या में से आरक्षित श्रेणी (अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गो) की जनसंख्या को घटाकर सामान्य आबादी की जनसंख्या/परिवारों की संख्या के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जायेगा। यदि एक से अधिक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों **(**वार्ड**)** में आरक्षित वर्ग अथवा सामान्य आबादी की जनसंख्या**/**परिवारों की संख्या समान हो तो कम क्रमांक वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र **(**वार्ड**)** को अवरोही क्रम में पहले रखा जायेगा तथा अधिक क्रमांक वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र **(**वार्ड**)** को अवरोही क्रम में बाद में रखा जायेगा। इसी प्रकार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में किसी आरक्षित वर्ग अथवा सामान्य आबादी की जनसंख्या**/**परिवारों की संख्या शून्य हो तो कम क्रमांक वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र **(**वार्ड**)** को अवरोही क्रम में पहले तथा अधिक क्रमांक वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र **(**वार्ड**)** को बाद में रखा जायेगा।

(i) यदि किसी निर्वाचन में अनुसूचित जनजातियों की या अनुसूचित जातियों की या पिछड़े वर्गों की जनसंख्या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रवार अभिनिश्चित नहीं की जा सकती है तो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) में यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के या अनुसूचित जातियों के या पिछड़े वर्गों के परिवारों की संख्या के आधार पर अवरोही क्रम अवधारित किया जा सकता है।

(ii) यदि किसी पंचायत क्षेत्र में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों के लिये कोई भी स्थान आरक्षित नहीं किया जा सकता है तो उपर्युक्त प्रस्तर-3 में उल्लिखित क्रम का अनुसरण इस तरह किया जायेगा मानों, यथास्थिति, इसमें अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों का कोई निर्देश न हो।

(iii) इसके उपरान्त प्रस्तर-11.2 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिये संगणित आरक्षित स्थानों की संख्या प्रस्तर-3 में उल्लिखित क्रमावली के क्रम में विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) को इन जातियों/वर्गो की जनसंख्या/परिवारों की संख्या के अवरोही क्रम के आधार पर आवंटित की जायेगी यानि किसी पंचायत क्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या/परिवारों की संख्या वाला प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) उनको आवंटित किया जायेगा, अनुसूचित जातियों की सर्वाधिक जनसंख्या/परिवारों की संख्या वाला प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड)

http://shasanadesh.up.gov.in

उनको आवंटित किया जायेगा और पिछड़े वर्गों की सर्वाधिक जनसंख्या/परिवारों की संख्या वाला प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) उनको आवंटित किया जायेगा।

(iv) प्रस्तर-11.3 का 3 के अधीन स्त्रियों के लिये आवंटित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) को सम्मिलित करते हुए कुल प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) की संख्या के एक तिहाई से अन्यून प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) स्त्रियों को आवंटित किये जायेंगे, किन्तु इस प्रकार कि जिन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) में सबसे अधिक जनसंख्या/परिवारों की संख्या है, जिसमें अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों की जनसंख्या/परिवारों की संख्या सम्मिलित नहीं है, वे स्त्रियों को आवंटित किये जायेंगे।

(v) यदि किसी पंचायत क्षेत्र में अनूसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आधार पर, यथास्थिति अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों के लिये केवल एक स्थान आरक्षित किया जा सकता है तो वह स्थान यथास्थिति अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों की स्त्री का होगा।

(vi) किसी आरक्षित वर्ग अथवा सामान्य आबादी के अवरोही क्रम में किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र **(**वार्ड**)** में उस वर्ग की अथवा सामान्य आबादी की जनसंख्या**/**परिवारों की संख्या शून्य होने पर भी वर्ग के लिये आरक्षित स्थान प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों **(**वार्ड**)** को अवरोही क्रम में आवंटित किये जायेंगे।

(vii) पंचायतों के आगामी सामान्य निर्वाचन वर्ष 2021 में तथा पश्चातवर्ती निर्वाचन में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का आवंटन प्रस्तर-11.3 में दी गयी रीति से किया जायेगा किन्तु इस प्रकार कि जहॉ तक हो सके, वह प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र जो सामान्य निर्वाचन वर्ष 2015 में, अनुसूचित जनजातियों को आवंटित था, वह अनुसूचित जनजातियों को आवंटित नहीं किया जायेगा और जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जातियों को आवंटित था, वह अनुसूचित जातियों को आवंटित नहीं किया जायेगा और जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र पिछड़े वर्गों को आवंटित था, वह पिछड़े वर्गो को आवंटित नहीं किया जायेगा और जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र स्त्रियों को आवंटित था, वह स्त्रियों को आवंटित नहीं किया जायेगा।

(viii) किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के पूर्णतया नया होने अथवा उसके क्षेत्र में परिवर्तन होने की स्थिति में ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) के लिये उसके संघटक परिवारों की कुल संख्या में से 50 प्रतिशत परिवारों में परिवर्तन हो जाने पर उस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये स्थान का आवंटन संबंधित श्रेणी/वर्ग के अवरोही क्रम में उसकी स्थिति के अनुसार नये सिरे से किया जायेगा अर्थात ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिये सामान्य निर्वाचन वर्ष 2015 में किये गये आरक्षण व आवंटन को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा। इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) के लिये उसके संघटक ''कुल ग्राम पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड)'' में से 50 प्रतिशत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) में परिवर्तन हो जाने एवं जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) के लिये उसके संघटक कुल ''क्षेत्र पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड)'' में से 50

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रतिशत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) में परिवर्तन हो जाने पर, यथास्थिति, संबंधित ''क्षेत्र पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र'' अथवा ''जिला पंचायत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र'' के लिये स्थान का आवंटन संबंधित श्रेणी/वर्ग के अवरोही क्रम में उसकी स्थिति के अनुसार नये सिरे से किया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार ही पंचायतों के आगामी सामान्य निर्वाचन वर्ष 2021 में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) के आरक्षण में चक्रानुक्रम (रोटेशन) लागू किया जायेगा। इसके फलस्वरूप पिछले सामान्य निर्वाचन वर्ष 2015 में आरक्षित वर्गों (अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों तथा स्त्रियों) के लिये जिन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) को आरक्षित किया गया था, उन्हें आगामी निर्वाचन में सम्बन्धित आरक्षित वर्ग के लिये आरक्षित नहीं किया जायेगा बल्कि अवरोही क्रम में अगले स्टेज पर आने वाले प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) से आरक्षण शुरू किया जायेगा, परन्तु यदि किसी आरक्षित वर्ग के लिये पिछले सामान्य निर्वाचन वर्ष 2015 में आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) और आरक्षण हेतु प्रस्तर-3 में उल्लिखित क्रमावली के किसी अन्य आरक्षित वर्ग के लिये आगामी सामान्य निर्वाचन हेतु पूर्व में ही आरक्षित हो चुकी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) को छोड़ने के पश्चात् आरक्षण करने हेतु अपेक्षित संख्या में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (वार्ड) शेष नहीं बचते हों तो उस दशा में पिछले सामान्य निर्वाचन वर्ष 2015 में उस वर्ग के लिये आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) को भी आगामी सामान्य निर्वाचन वर्ष 2021 में पुनः उसी वर्ग के लिये आरक्षित किया जाएगा।

12. उपर्युक्तानुसार ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों में स्थानों और प्रमुखों एवं प्रधानों के पदों के आवंटन का प्रस्ताव तथा ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्गो की जनसंख्या का प्रतिशत तथा आरक्षित श्रेणी की जनसंख्या को घटाते हुए सामान्य जनसंख्या एवम् ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों व पिछड़े वर्गो के व्यक्तियों और सामान्य जनसंख्या के परिवारों की संख्या के अवरोही क्रम का विवरण जिला मजिस्ट्रेट द्वारा तैयार कर जनसाधारण की सूचना हेतु ग्राम पंचायत कार्यालय, क्षेत्र पंचायत कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय तथा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में सूचना पट पर लगातार 03 दिवस तक प्रदर्शित किया जायेगा। कोई व्यक्ति जिसे किसी प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति हो वह प्रस्तावों के प्रदर्शन की उक्त अवधि को सम्मिलित करते हुए प्रकाशन की तिथि से 04 दिवस के अन्दर प्रस्तावित आवंटन/आरक्षण के विरूद्ध आपत्ति विकासखण्ड कार्यालय या जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय या जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत कर सकेगा। आपत्ति प्राप्त करने की अवधि की समाप्ति के अगले दिन समस्त आपत्तियां जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में एकत्र कर आगामी दो दिवस के अन्दर प्रत्येक आपत्ति का निस्तारण निम्नलिखित समिति द्वारा किया जायेगा:-

1. जिला मजिस्ट्रेट — अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी — सदस्य
3. अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत — सदस्य
4. जिला पंचायत राज अधिकारी — सदस्य सचिव

उपर्युक्तानुसार आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त आरक्षित स्थानों और पदों के आवंटन को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अन्तिम रूप देते हुए आवंटित स्थानों और पदों की सूची को पुनः उपर्युक्त कार्यालयों के सूचना पट पर दो दिवसों तक प्रदर्शित किया जाएगा और आवंटित पदों और स्थानों का प्रारूप 1, 2, 3 तथा 4 पर विवरण की हार्ड कॉपी की दो प्रतियां एम0एस0 एक्सेल पर सीडी सहित निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश को दिनांक 26.03.2021 तक उपलब्ध कराई जाएगी

http://shasanadesh.up.gov.in

और उक्त विवरण की एक प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) को भी उपलब्ध कराई जायेगी।

13. पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 के आरक्षण से सम्बन्धित समय सारिणी परिशिष्ट 'क' पर है।

संलग्नक-यथोपरि ।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

संख्या :22/2021/656/33-3-2021-62/2020.सी. तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य स्टॉफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. स्टॉफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पंचायत), उत्तर प्रदेश।
8. उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तर प्रदेश।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
12. पंचायतीराज अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
13. गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

परिशिष्ट-'क'

पंचायत सामान्य निर्वाचन, 2021 हेतु शासनादेश संख्या-22/2021/656/33-3-2021-62/2020

दिनांक- 17 मार्च, 2021

क्र0 सं0	कार्यवाही	तिथियाँ ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत
1.	शासन द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण व आवंटन निर्गत किया जाना व शासन द्वारा क्षेत्र पंचायत प्रमुख का जनपदवार आरक्षण चार्ट निर्गत किया जाना तथा निदेशालय द्वारा विकास खण्डवार प्रधानों के पदों का आरक्षण चार्ट तैयार कर जनपदों को उपलब्ध कराया जाना।	17.03.2021
2.	जनपद स्तर पर आरक्षित ग्राम पंचायत प्रधानों, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का आवंटन तथा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) के आरक्षण एवं आवंटन का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाना।	18.03.2021 से 19.03.2021 तक
3.	शासनादेश संख्या- 22/2021/656/33-3-2021-62/2020 दिनांक- 17.03.2021 में उल्लिखित निर्दिष्ट स्थलों पर आरक्षित ग्राम पंचायत प्रधानों, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का आवंटन तथा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) के आरक्षण एवं आवंटन की प्रस्तावित सूची का जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रकाशन।	20.03..2021 से 22.03.2021 तक
4.	प्रस्तावों पर आपत्तियाँ प्राप्त किया जाना	20.03.2021 से 23.03.2021 तक
5.	आपत्तियों का जनपद मुख्यालय पर जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में एकत्रीकरण एवं जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा परीक्षण, निस्तारण एवं अन्तिम सूची तैयार किया जाना।	24.03.2021 से 25.3.2021 तक
6.	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आरक्षित ग्राम पंचायत के प्रधानों, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का आवंटन तथा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) के आरक्षण एवं आवंटन की अन्तिम सूची का प्रकाशन व पंचायती राज निदेशालय एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को शासनादेश दिनांक 17.03.2021 में उल्लिखित प्रारूप पर विवरण उपलब्ध कराया जाना।	26.03.2021

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रारूप-1

ग्राम पंचायत के प्रधान पदों के आरक्षण का आवंटन

जनपद :..... **विकास खण्ड :.....**

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	प्रधान पदों के आवंटन का विवरण							
		अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियां	अनुसूचित जनजातियां	अनुसूचित जातियों की स्त्रियां	अनुसूचित जातियां	पिछड़े वर्ग की स्त्रियां	पिछड़ा वर्ग	स्त्रियॉ	अनारक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ह0/

जिला मजिस्ट्रट

प्रारूप-2

ग्राम पंचायत के स्थानों (सदस्यों) के आरक्षण का आवंटन

जनपद:..... **विकास खण्ड :.....**

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	ग्राम पंचायत क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामों के नाम	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का विवरण		प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र का विवरण	स्थानों के आवंटन का विवरण							
			क्र मांक	नाम	मकान नम्बर ..... स्थान ..... से मकान नम्बर ..... स्थान ..... तक	अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियां	अनुसूचित जनजातियां	अनुसूचित जातियों की स्त्रियां	अनुसूचित जातियां	पिछड़े वर्ग की स्त्रियां	पिछड़ा वर्ग	स्त्रियॉ	अनारक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ह0/

जिला मजिस्ट्रेट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रारूप-3

क्षेत्र पंचायत के स्थानों (सदस्यों) के आरक्षण का आवंटन

जनपद :..... **क्षेत्र पंचायत :.....**

क्र.सं.	क्षेत्र पंचायत में सम्मिलित ग्राम पंचायतों के नाम	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का विवरण		प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र का विवरण	स्थानों के आवंटन का विवरण							
		क्रमांक	नाम	ग्रा0 पं0 ..... के वार्ड सं0 ..... से ग्रा0 पं0 ..... के वार्ड सं0 ..... तक	अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियॉ	अनुसूचित जनजातियां	अनुसूचित जातियों की स्त्रियॉ	अनुसूचित जातियां	पिछड़े वर्ग की स्त्रियॉ	पिछड़ा वर्ग	स्त्रियॉ	अनारक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ह0/

जिलामजिस्ट्रेट

प्रारूप-4

जिला पंचायत के स्थानों (सदस्यों) के आरक्षण का आवंटन

जिला पंचायत :.....

क्र.सं.	जिला पंचायत क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र पंचायतों के नाम	प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का विवरण		प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में सम्मिलित क्षेत्र का विवरण	स्थानों के आवंटन का विवरण							
		क्रमांक	नाम	क्षेत्र पंचायत ..... की ग्राम पंचायत ..... के वार्ड सं0 ..... से क्षेत्र पंचायत ..... की ग्राम पंचायत ..... के वार्ड सं0 .....तक	अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियॉ	अनुसूचित जन जातियां	अनुसूचित जातियों की स्त्रियॉ	अनु सूचित जातियां	पिछड़े वर्ग की स्त्रियॉ	पिछड़ा वर्ग	स्त्रियॉ	अनारक्षित
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

ह0/

जिलामजिस्ट्रेट

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।